**भारत सरकार**
**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1504**
**बुधवार, 04 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी समिति (सीओडीआरआर)**

†1504. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जीएलओएफ जोखिम में कमी के लिए रणनीतियों के संबंध में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी समिति (सीओडीआरआर) की कार्यशाला में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) के बारे में चेतावनी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समन्वय की कमी, राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच अपनी-अपनी भूमिकाओं के बारे में भ्रम की स्थिति देश में जीएलओएफ जोखिम संबंधी किसी नीति के कार्यान्वयन न किए जाने का एक प्रमुख कारण है;

(ग) यदि हां, तो जीएलओएफ जोखिम से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाने में सीओडीआरआर प्लेटफॉर्म का समन्वय किस प्रकार से सहायता करेगा;

(घ) क्या सरकार ने देश की कुल हिमनद झीलों में से उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की गतिशीलता संबंधी सूची तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विश्व भर के जीएलओएफ विशेषज्ञों को शामिल करने प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हां। गृह मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार एजेंसियों और विभागों के साथ से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीओडीआरआर) समिति का गठन किया है। अब तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित 8 आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी समिति बैठकें आयोजित की गई हैं। 11 और 12 नवंबर, 2024 को, एनडीएमए ने राज्यों/संघ राज्यों के बीच जागरूकता पैदा करने और जीएलओएफ जोखिम न्यूनीकरण के लिए उनके प्रयासों की समीक्षा करने के लिए 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम न्यूनीकरण के लिए रणनीतियां' शीर्षक से डेढ़ दिन की अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, पेरू और स्विटजरलैंड से विशेषज्ञ आए और उन्होंने एंडीज, आल्प्स और हिमालय में सर्वोत्तम कार्यों को साझा किया।

(ख) जी नहीं। अक्टूबर 2020 में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) के प्रबंधन' पर दिशानिर्देश और 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश टास्क फोर्स रिपोर्ट का संग्रह' जारी किया, जिसमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सहित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय को ग्लेशियल अध्ययन के लिए प्रमुख मंत्रालय के रूप में चिन्हित किया गया है।

(ग) आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी समिति तंत्र सरकार के समग्र दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करता है और 6 संबंधित राज्यों/संघ राज्यों के साथ सूचना, प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन, वैज्ञानिक संसाधनों और नेटवर्कों को साझा करने की आवश्यकता के उद्देश्य से काम करता है। व्यापक विचार यह है कि राज्यों/ संघ राज्यों को संसाधन और सूचनाएं प्रदान की जाएं ताकि वे अपने क्षेत्राधिकार में मौजूद ऐसी ग्लेशियल झीलों से होने वाले जोखिमों को कम करने के प्रयासों का नेतृत्व कर सकें। आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी समिति के परिणाम उत्कृष्ट हैं - सभी राज्यों/ संघ राज्यों ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जोखिम न्यूनीकरण इकाइयाँ गठित की गई हैं और समस्या पर संसाधनों को केंद्रित किया है।

(घ) वर्ष 2011 से, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ने भारत भर में 7,500 से अधिक ग्लेशियल झीलों (IHR में कुल 28,000 में से) का लगातार मानचित्रण करने के लिए उपग्रह सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। इसके बाद, केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने इन झीलों की निरंतर निगरानी की है, जून से अक्टूबर तक उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों पर एक पाक्षिक बुलेटिन प्रकाशित किया है, जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड घटनाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इन एजेंसियों के निष्कर्षों को 195 उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों की एक समेकित और गतिशील सूची में एकीकृत किया है, जो सतह क्षेत्र में तेजी से वृद्धि प्रदर्शित कर रही हैं और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड घटनाओं के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती हैं।

(ङ) आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी समिति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का उद्देश्य सभी हितधारकों को वैज्ञानिक चर्चा में शामिल होने और सहयोग के लिए रास्ते खोलने के लिए एक साझा मंच पर लाना है। उपर्युक्त कार्यशाला के अनुरूप वैश्विक विशेषज्ञों, भारतीय शिक्षाविदों और वैज्ञानिक संस्थानों के साथ राज्यों/संघ राज्यों के लिए सहयोग निर्मित किया गया है।

******